भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1192

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

07 श्रावण, 1943 (शक)

ट्विटर को प्रदान की गई सेफ हार्बर इम्युनिटी को हटाया जाना

1192. श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री राजमणि पटेल:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने सेफ हार्बर नियमों के अंतर्गत परिभाषित मानदंडों के अनुसार ट्विटर के लिए प्रदान की गई सेफ हार्बर इम्युनिटी को हटाए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ट्विटर के लिए प्रदान की गई सेफ हार्बर इम्युनिटी को निरस्त करने के निर्णय के लिए अपनाए गए मानदंडों और मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने एक प्रक्रिया या तंत्र को परिभाषित किया है जिसके माध्यम से यह निर्धारित किया जा सकेगा कि ट्विटर और इसके प्रयोक्ता कानूनी कार्रवाई के लिए किस प्रकार उत्तरदायी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या मंत्रालय ने मानदंडों के अनुसार सेफ हार्बर नियमों से संभवत: समझौता करने वाली अन्य सोशल मीडिया साइटों की पहचान की है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख): ट्विटर सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशा निर्देश तथा डिजिटल मिडिया, आचार संहिता) नियम, 2021 दिनांक 25 फरवरी, 2021 के अनुसार विशिष्ट सोशल मीडिया माध्यस्थ (एसएसएमआई) है। एसएसएमआई हेतु अतिरिक्त समक्ष तत्परता को अनिवार्य किया है जो दिनांक 26 मई, 2021 से प्रभावी है।

26 मई 2021 को, ट्विटर गैर-अनुपालक था क्योंकि यह नियमों में अनिवार्य रूप से मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और एक स्थानिक शिकायत अधिकारी को नियुक्त करने में विफल रहा जैसा कि नियमावली में अधिदेशित किया गया है।

(घ) और (ड.): एसएसएमआई सहित सभी मध्यस्थों को इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। गैर-अनुपालन के मामले में, उपरोक्त नियम लागू होंगे और और मध्यस्थ आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत देयता से अपनी छूट खो देंगे।

(च) : फेसबुक, गूगल (यूट्यूब), ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, शेयरचैट, टेलीग्राम, कू, माईगॉव आदि सहित प्रमुख महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों ने इस मंत्रालय को उपर्युक्त नियमों के अनुपालन और/या अनुपालन के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बारे में सूचित किया है। एमईआईटीवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित माध्यास्थ का रजिस्टर नहीं रखता है क्योंकि आईटी अधिनियम या उसके नियमों में यह अनिवार्य नहीं है। एमईआईटीवाई किसी भी गैर-अनुपालन के बारे अवगत होगा जबभी यह किसी उपयोगकर्ता द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा।

****